

9/3
2024

पत्रावली पेश हुई वही व जर्नी व परिष्कार सरकार
उपलब्ध। बहस सुनी गयी। वास्ते निर्णय
पत्रावली दिनांक 15/3/2024 को पेश है।

(12)

15/03
2024

पत्रावली आज वास्ते निर्णय/आदेश पेश हुयी। वकील
प्रार्थी एवं परोकार सरकार उप०। पत्रावली में बहस उभय
पक्ष पूर्व में सुनी जा चुकी है। दौराने बहस वकील प्रार्थी
ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहरान करते हुए
कथन किया है कि प्रार्थी का सही नाम बन्शी पुत्र सुगना
है। परन्तु राजस्व रिकार्ड तैयार करते समय सहवन से
गलत नाम बन्शी पुत्र साधू दर्ज कर दिया गया है, जिसे
राजस्व रिकॉर्ड में दुरस्त किया जाना उचित है। प्रार्थी ने
प्रार्थना पत्र के समर्थन में राशन कार्ड, मतदाता पहचान
पत्र, भामाशाह कार्ड, आधार कार्ड एवं बेचान नामा की
प्रति की प्रति प्रस्तुत की हैं जिनमें प्रार्थी का नाम बन्शी
पुत्र सुगना है, से प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की ताकीद
होती हैं।

बहस उभय पक्ष पर मनन व पत्रावली पर उपलब्ध
राजस्व रिकॉर्ड, दस्तावेजात एवं बतौर साक्ष्य सह
खातेदार मनोहर पुत्र पन्नाराम के नोटेरी तस्दीकशुदा
शपथ पत्र का अवलोकन किया गया। जिससे जाहिर है
कि विवादित आराजी के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम
बन्शी पुत्र साधू अंकित है। प्रार्थी का कथन कि प्रार्थी का
सही नाम बन्शी पुत्र सुगना है की पुष्टि राशन कार्ड,
मतदाता पहचान पत्र, भामाशाह कार्ड, आधार कार्ड एवं
बेचान नामा की प्रति से होती है। इस प्रकार प्रस्तुत
राजस्व रिकॉर्ड, दस्तावेजात, के आधार पर प्रार्थना पत्र
प्रार्थी स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

(12)

(बिजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना

आदेश

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया
जाता हैं तथा तहसीलदार नीमकाथाना को आदेशित
किया जाता हैं कि राजस्व ग्राम काचरेडा पटवार हल्का
रायपुर पाटन तह. नीमकाथाना के खाता संख्या 93
जमाबन्दी सम्वत 2075-2078 के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी
का नाम बन्शी पुत्र साधू के स्थान पर बन्शी पुत्र सुगना

दर्ज किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड दुरुस्त किया जावें।
शेष इन्द्राज बदस्तुर रहे। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर
नम्बर से कम होकर दाखिल दफ़तर हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।



(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
उपचीमकाथाना अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)